

## ई-निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष- 2026-27 में जिला पंचायत, अमेठी के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों एवं उत्तर प्रदेश शासन पंचायतीराज अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1488/33-2-2020-80जी/2000 लखनऊ दिनांक-24 जुलाई 2020 क्रम में लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि पंचम राज्य वित्त आयोग, पन्द्रहवाँ वित्त (टाइड एवं अनटाइड फण्ड) आदि विगत वित्तीय वर्षों की आवंटित/ अवशेष धनराशि से जिला पंचायत द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 06 विकास कार्यों हेतु ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र बेबसाइट ई-टेण्डरिंग पोर्टल <http://etender.up.nic.in> से दिनांक 15.05.2026 को प्रातः 12:00 अपराह्न बजे से Upload/Download/ Submit किये जा सकेंगे, तथा ऑन लाइन निविदा दिनांक 21.05.2026 को अपराह्न 11:00 बजे तक Submit की जा सकेंगी, जो उसी दिनांक को गठित निविदा समिति (अ0मु0अ0, वि0प0दा0 व अभियन्ता) द्वारा 01:00 बजे अपराह्न से कार्यालय जिला पंचायत, अमेठी में खोली जायेगी। निविदादाता को अपने समस्त अर्ह प्रमाण पत्र यथा जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0, श्रम रजि0, टी.-6, निविदा शुल्क व निविदा जमानत की जमा रसीदें व उक्त वर्णित शासनादेश में विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों का वैध पंजीयन प्रमाण पत्रों की स्कैन कापी ई-टेण्डरिंग पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक निविदा के साथ सूची में अंकित कार्यों की लागत की 2 प्रतिशत बयाने की धनराशि नगद रसीद जि0पं0 अमेठी, राष्ट्रीयकृत बैंकों की एफ.डी.आर./ डाक घर की एन.एस.सी. जो कि अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अमेठी के पदनाम से बन्धक होगी तथा निविदा मूल्य की धनराशि नगद (प्रपत्र-5)/ डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गौरीगंज अमेठी में संचालित जिलानिधि खाता- बैंक ऑफ बड़ौदा गौरीगंज अमेठी, खाता संख्या-07820100024568, आई0एफ0सी0 कोड- BARB0GAURIG में जमा कर, पे ऑर्डर की स्कैन प्रति व प्राप्त ट्रांजेक्शन नम्बर को निविदा के समय अपलोड किया जायेगा। अन्यथा की दशा में ई-निविदा पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। ई-निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला पंचायत कार्यालय से किसी भी कार्यशील दिवस एवं ई-टेण्डरिंग पोर्टल <http://etender.up.nic.in> में प्राप्त की जा सकती है। ई-निविदा की वैधता अवधि 90 दिन की होगी। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। विभाग के सक्षम प्राधिकारी को बिना कारण बताये किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार का अधिकार निहित होगा।

ई-निविदा अपलोड करने की तिथि व समय से	ई-निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय तक	ई-निविदा खुलने की तिथि व समय
दिनांक- 15.05.2026 समय अपराह्न 12:00 बजे से	दिनांक- 21.05.2026 समय अपराह्न 11:00 बजे तक	दिनांक- 21.05.2026 समय अपराह्न 01:00 बजे से

निर्माण कार्य व उसके सापेक्ष शर्तों की विस्तृत जानकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के साथ-साथ <http://etender.up.nic.in> से प्राप्त की जा सकती है।

अभिधता  
जिला पंचायत, अमेठी

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, अमेठी

अध्यक्ष  
जिला पंचायत, अमेठी

## कार्यालय जिला पंचायत, अमेठी

पत्रांक: 36 / निविदा / नि0अनु0 / जि0पं0 / 2026-27

दिनांक 30/4/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत अमेठी को उनके निर्देश के क्रम में सादर सूचनार्थ।
- वित्तीय परामर्शदाता / अभियन्ता सदस्य निविदा समिति, जिला पंचायत, अमेठी।
- सम्पादक दैनिक समाचार पत्र असार अजोला एवं जन भद्र को इस आशय से कि उपरोक्त निविदा सूचना अपने आगामी स्थानीय अंक में फांट साइज-08 में प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- नाजिर जिला पंचायत को इस निर्देश के साथ की उक्त ई-टेण्डरिंग सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, अमेठी

## ई निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष- 2026-27 में जिला पंचायत, अमेठी के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों एवं उत्तर प्रदेश शासन पंचायतीराज अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1488/33-2-2020-80जी/2000 लखनऊ दिनांक-24 जुलाई 2020 क्रम में लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि पंचम राज्य वित्त आयोग, पन्द्रहवाँ वित्त (टाइड एवं अनटाइड फण्ड) आदि विगत वित्तीय वर्षों की आवंटित/ अवशेष धनराशि से जिला पंचायत द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में 06 विकास कार्यों हेतु ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र बेबसाइट ई-टेण्डरिंग पोर्टल <http://etender.up.nic.in> से दिनांक 15.05.2026 को प्रातः 12:00 अपराह्न बजे से Upload/Download/ Submit किये जा सकेंगे, तथा ऑन लाइन निविदा दिनांक 21.05.2026 को अपराह्न 11:00 बजे तक Submit की जा सकेंगी, जो उसी दिनांक को गठित निविदा समिति (अ0मु0अ0, वि0प0दा0 व अभियन्ता) द्वारा 01:00 बजे अपराह्न से कार्यालय जिला पंचायत, अमेठी में खोली जायेगी। निविदादाता को अपने समस्त अर्ह प्रमाण पत्र यथा जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0, श्रम रजि0, टी.-6, निविदा शुल्क व निविदा जमानत की जमा रसीदें व उक्त वर्णित शासनादेश में विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों का वैध पंजीयन प्रमाण पत्रों की स्कैन कापी ई-टेण्डरिंग पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक निविदा के साथ सूची में अंकित कार्यों की लागत की 2 प्रतिशत बयाने की धनराशि नगद रसीद जि0पं0 अमेठी, राष्ट्रीयकृत बैंकों की एफ.डी.आर./ डाक घर की एन.एस.सी. जो कि अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अमेठी के पदनाम से बन्धक होगी तथा निविदा मुल्य की धनराशि नगद (प्रपत्र-5)/ डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गौरीगंज अमेठी में संचालित जिलानिधि खाता- बैंक ऑफ बड़ौदा गौरीगंज अमेठी, खाता संख्या-07820100024568, आई0एफ0सी0 कोड- BARBOGAURIG में जमा कर, पे ऑर्डर की स्कैन प्रति व प्राप्त ट्रांजेक्शन नम्बर को निविदा के समय अपलोड किया जायेगा। अन्यथा की दशा में ई-निविदा पर विचार पे ऑर्डर की स्कैन प्रति व प्राप्त ट्रांजेक्शन नम्बर को निविदा के समय अपलोड किया जायेगा। अन्यथा की दशा में ई-निविदा पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। ई-निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला पंचायत कार्यालय से किसी भी कार्यशील दिवस एवं ई-टेण्डरिंग पोर्टल <http://etender.up.nic.in> में प्राप्त की जा सकती है। ई-निविदा की वैधता अवधि 90 दिन की होगी। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। विभाग के सक्षम प्राधिकारी को बिना कारण बताये किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार का अधिकार निहित होगा।

क्र0सं0	योजना का नाम	विकास खण्ड का नाम	कार्य का नाम	लागत (रूपया में)	धरोहर धनराशि रूपया में	निविदा फार्म का मूल्य	कार्यपूर्ण करने की अवधि
1	पंचम राज्य वित्त अनुदान	गौरीगंज	ग्राम सभा सारी पुर में खरावों में छिटेपुर मुख्य मार्ग से रामफेर मौर्या के घर की ओर सी0सी0 (पुनः निविदा)	1477195	29544	1743	02 माह
2	पंचम राज्य वित्त अनुदान	शाहगढ़	ग्रामसभा सेवई हेमगढ़ में खाखरदेई पिच रोड से जगपाल सिंह के घर तक सीसी (पुनः निविदा)	1783104	35662	2104	02 माह
3	पंचम राज्य वित्त अनुदान/15 वित्त अनुदान	संग्रामपुर	ग्रामसभा इटौरी में पंचायत घर से लोहारन का पुरवा तक ईट-सोलिंग	1000000	20000	1180	02 माह
4	पंचम राज्य वित्त अनुदान/15 वित्त अनुदान	गौरीगंज	ग्रामसभा रौजा में राम सुरत के घर एवं मनीष शर्मा के घर की ओर अवशेष सीसी	654000	13080	772	02 माह
5	पंचम राज्य वित्त अनुदान/15 वित्त अनुदान	जामों	ग्रामसभा मवई के पूरे छत्ता का पुरवा में प्रा0 पाठशाला से मुकेश कुमार के घर तक लेपन मरम्मत	884636	17693	1044	02 माह
6	पंचम राज्य वित्त अनुदान/15 वित्त अनुदान	बहादुरपुर	ग्रामसभा फुरसतगंज में मनोज जायसवाल के घर से तालाब तक नाला निर्माण (पुनः निविदा)	1315407	26308	1552	02 माह

### निविदा की शर्तः-

19. उत्तर प्रदेश शासन पंचायतीराज अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1488/33-2-2020-80जी/2000 लखनऊ दिनांक 24 जुलाई 2020 में दी गयी व्यवस्था के ठेकेदार ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकेंगे।
20. शासनादेश सं0 730/33-3-2022-11/2022 दिनांक 28.04.2022 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पंचायतीराज विभाग से जुड़े पदाधिकारी/कर्मि/परिवार/सगा सम्बन्धी (जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के कर्मि, जिला पंचायत राज अधिकारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, पंचायतीराज विभाग के कर्मि, विभाग में संविधा पर कार्यरत कर्मि) के परिवारिक सदस्यों व रिस्तेदारों द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जायेगा। संज्ञानित होने पर निविदा निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।
21. निविदादाता द्वारा प्रत्येक निविदा के सापेक्ष निविदा की धरोहर धनराशि व निविदा मुल्य की धनराशि नगद (प्रपत्र-5/ डी0डी0) के माध्यम से अथवा एन0ई0एफ0टी0/ आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जिलानिधि खाता- बैंक ऑफ बड़ौदा गौरीगंज अमेठी, खाता संख्या-07820100024568, आई0एफ0सी0 कोड- BARBOGAURIG में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक निविदा के साथ जमा धरोहर धनराशि व निविदा मुल्य की धनराशि के सापेक्ष ट्रांजेक्शन की नम्बर की स्कैन कापी/ प्रपत्र-5/ डी0डी0

- एफ0डी0आर0 (जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अमेठी के नाम बधक हो) ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करने के साथ-साथ उसकी मूल प्रति तकनीकी बिड खोले जाने से पूर्व कार्यालय जिला पंचायत, अमेठी में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
22. निविदादाता को अपने समस्त अर्ह प्रमाण पत्र यथा जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, जी०एस०टी०, श्रम रजि०, टी-6 निविदा शुल्क व निविदा जमानत (अपर मुख्य अधिकारी के पदनाम से बन्धक) की जमा रसीदे व उक्त बर्णित शासनादेश में विभागों के पंजीकृत ठेकेदारों का वैध पंजीयन प्रमाण पत्रों की स्कैन कापी ई-टेंडरिंग पोर्टल <https://etender.up.nic.in> पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  23. ठेकेदारों का निविदा स्वीकृति के उपरान्त उ०प्र० भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम-1996 एवं उ०प्र० नियमावली 2009 के अन्तर्गत श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  24. शासनादेशानुसार निर्माण कार्य हेतु डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड-02 वर्ष का होगा, तदपश्चात ही निर्माण कार्यों के सापेक्ष जमा जमानत धनराशि वापस की जायेगी।
  25. निविदा सूचना में अंकित कोई परियोजना/ कार्य यदि किसी अन्य विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित/ प्रस्तावित / निर्माणाधीन अथवा स्वीकृत कर ली गई है, तो तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।
  26. निविदा की स्वीकृति/ अनुबन्ध/ भुगतान धनराशि की उपलब्धता के अनुसार की जायेगी।
  27. कार्य समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराना अनिवार्य होगा तथा कार्य का निरीक्षण करने के उपरान्त गुणवत्ता पूर्ण पाये जाने की दशा में ही भुगतान किया जाना सम्भव होगा।
  28. बिना जमानत धनराशि एवं बिना निविदा मूल्य के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
  29. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित समय-समय पर शासन द्वारा जारी शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन ठेकेदारों को मान्य होंगे।
  30. आवश्यकता अनुसार तकनीकी की कोई भी मद किसी भी सीमा तक घटाई बढ़ाई जा सकती है, जो ठेकेदार को अपनी टेंडर की दर से ही करना होगा। यदि कोई नई मद का कार्य कराना आवश्यक हुआ तो ठेकेदार को शिड्यूल दर पर कराना होगा।
  31. भुगतान से पूर्व ठेकेदार द्वारा ई०एम०एम०-11 प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तथा ई०एम०एम०-11 के सत्यापन के पश्चात ही भुगतान किया जाना सम्भव होगा।
  32. किसी भी पंजीकृत ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित किसी नियम से अनुसार ठेका पाने के लिये अनर्ह था अथवा सक्रिय रूप से मफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो ऐसी दशा में प्रदान किया गया ठेका/ अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
  33. जिला पंचायत निर्माण नियमावली-1984 के अनुसार किसी भी / समस्त निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार समक्ष प्राधिकारी में निहित होगा।
  34. जिला पंचायत, अमेठी में पंजीकृत ठेकेदारों को कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा पूर्व अथवा वर्तमान में कोई भी कार्य लम्बित नहीं है।
  35. निविदादाता को जिला पंचायत, अमेठी में प्रचलित उपविधि दिनांक-30 मार्च, 2013 के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार का अद्यतन लाइसेंस/ अनुज्ञा शुल्क प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

अभियंता  
जिला पंचायत, अमेठी

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, अमेठी

अध्यक्ष  
जिला पंचायत, अमेठी

## कार्यालय जिला पंचायत अमेठी

पत्रांक:- 36/ई-निविदा/जि०प०/2026-27,

दिनांक: 30/4/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद अमेठी।
3. अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/ सिचाई विभाग/ नाजिर डी०आर०डी०ए० व नाजिर जि०प० के नोटिस बोर्ड पर चर्या हेतु।
4. अभियंता/ वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत अमेठी को उक्त तिथि, समय व स्थान पर उपस्थिति रहते हुए ई-निविदा की कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु।
5. लेखाकार, जिला पंचायत अमेठी को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत, अमेठी।